

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

24.07.2024

2024/462

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़  
कृष्णा आदि बनाम कुम्भाराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 क जाब्ता दिवानी

प्रकरण संख्या 20 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
24.04.2024	<p>केवियट कर्ता कृष्णा वगैरह ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148क सी.पी. सी. पेश किया। वकील-केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि या पक्षकारान के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो स्थगन जारी करने से पूर्व हम केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.07.2024 को पेश हो।</p> <p>04/7</p>	
24.7.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी केवियट प्रार्थना-पत्र के 90 डिक्स प्रबल हो चुके हैं। इसलिये केवियट प्रार्थना-पत्र खारिज किया जा रहा है पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाइ वकील तकमील जाब्ता दाखिल रफ्तार हो</p> <p>04/7</p>	

